International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 5; September 2017; Page No. 832-834

माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के वंचन का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन

सन्तोष कुमार यादव
शोध छात्र (शिक्षाशास्त्र), नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

मनुष्य को सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाने में किसी भी समाज की शिक्षा के समस्त उद्देश्य एवं कार्य समाहित है। मनुष्य को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाने के लिए शिक्षा में उदान्त मानवीय मूल्यों को स्थापित किया जाना चाहिए। शिक्षा के आलोक में ही मनुष्य की अन्तर्निहित शक्तियाँ प्रकाशित होती है। संक्षेप में शिक्षा किसी समाज में चलने वाली वह सोद्देश्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास उसके ज्ञान एवं कलाकौशल में वृद्धि तथा व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति एवं समाज दोनों निरन्तर विकास करते है।सर्वविदित है कि हमारी प्राचीन सामाजिक व्यवस्था ने भारतीय समाज के एक बहुत बड़े समूह को धार्मिकता का जामा पहना कर अज्ञानी बनाया। यह परम्परा मुस्लिम बादशाओं से गुजरती हुई अंग्रेजों के शासनकाल तक यथा स्थिति चलती नजर आ रही है। अंग्रेज सरकार भी इस व्यवस्था से टकराने की हिम्मत नहीं कर पायी।

1956 में बम्बई सरकार ने धारवाड़ के एक महार लड़के के स्कूल में दाखिला सम्बन्धी याचिका को यह कहकर निरस्त कर दिया था – ''इस बात में कोई शक नहीं कि महार छात्र के पक्ष में न्याय होना चाहिए। परन्तु सरकार का यह भी दायित्व है कि वह इस बात को ध्यान में रखे कि यदि युगों–युगों से चले आ रहे पूर्वाग्रहों को मिटाने के लिए किसी एक व्यक्ति या कुछ लोगों के हित में तुरन्त हस्तक्षेप करेगी तो शायद उससे शिक्षा के ध्येय को भारी क्षति होगी।''[1]

डॉ0 अम्बेडकर असमान शिक्षा नीति से बहुत दुःखी थे। वह समझते थे कि अस्पृश्यों की शैक्षिक स्थिति सुधारे बिना उनको मानवीय जीवन का स्तर प्राप्त कराना कठिन ही नहीं असम्भव है। डॉ0 अम्बेडकर द्वारा 1928 में सायमन कमीशन के समक्ष प्रस्तुत किए गये तथ्या और सुझाव उन्होंने हन्टर कमीशन के लचर सुझाव को प्रस्तुत करते हुए कहा कि इस बात का परिणाम यह निकला कि किसी भी अछूत छात्र का स्कूलों में प्रवेश ही नहीं किया गया। गांधीजी शिक्षा को मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे और यह कहते थे कि हम प्रजातान्त्रिक उद्देश्यों को तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक साक्षरता स्तर अपने मानक स्तर को प्राप्त न कर ले। उन बच्चों को मानवीय कसौटी पर हिंसा का शिकार मानते थे जिनको शिक्षा के अधिकार से वंचित रखा गया हो। अस्तु गांधीजी ने इस बात पर बल दिया कि[2] ''राज्य को 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए।''

वंचन की दृष्टिकोण से 1950 में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का संविधान लागू किया जिसमें यह उल्लेख है कि 10 वर्ष की अवधि की भीतर सभी बालकों को /14वर्ष की आयु पूरी होने तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में नई शिक्षानीति के 'प्रोग्राम ऑफ एक्शन' के द्वारा शिक्षा में व्यापक सुधार लाने का प्रयास किया गया जिससे शिक्षा के क्षेत्र में अवसरों की समानता प्रदान करने पर जोर दिया गया। वंचन के दृष्टिकोण से विकलांग बालकों के शिक्षा के लिए 1974 में विकलांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा योजना का प्रस्ताव रखा गया। 1992 में भारत सरकार शिक्षा योजना सी. एस.आई.ई.डी. समावेशी शिक्षा के लिए केन्द्रीय योजना को लागू किया गया। जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि सभी विकलांग बच्चों को प्राथमिक शिक्षा तक सामान्य विद्यालय में प्रवेश दिया जायेगा तथा जिनको सामान्य विद्यालयों में परिवेश होगी उन्हें विशेष विद्यालय में डाल दिया जायेगा सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के द्वारा 2008 तक सभी को प्राथमिक शिक्षा देने का कार्यक्रम शुरू किया गया जिसमें विकलांग बच्चे भी शामिल है।1995 में वंचित छात्रों के नामांकन एवं विद्यालय में ठहराव हेतु मध्यान्ह भोजन योजना तथा 2001 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत् 6 से 12 वर्ष आयु के सभी बच्चों का नामांकन करना, सभी नामांकित बच्चों को 2007 तक कक्षा 5 एवं 2010 तक कक्षा 8 तक गुणात्मक शिक्षा पूर्ण कराने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की योजना सितम्बर 2005 के अनुसार भारत में 6–14 वर्ष आयु के बच्चों की संख्या 2007 में बताया गया कि देश में 1 करोड़ 35 लाख बच्चे स्कूल से वंचित है जिनको 6.9 बच्चे 6–13 वर्ष आयु वर्ग के है तथा सबसे अधिक 20 प्रतिशत बच्चे मुस्लिम समुदाय के हैं।

1 अप्रैल 2010 को वंचित वर्ग की साक्षरता में वृद्धि एवं उनको अधिकार दिलाने के लिए ''शिक्षा का अधिकार'' संविधान के 86वें संशोधन द्वारा प्रभावी बनाया गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया।आज भी भारत में वंचन की स्थिति बनी हुई है जहाँ गरीबी की स्थिति के साथ–साथ शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक एवं शैक्षिक स्थिति से भी लोग वंचित है। इनकी शिक्षा के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास किये गये। माध्यमिक स्तर पर वंचित विद्यार्थियों की शिक्षा में अवरोधन को दूर करते हुए ग्रामीण एवं पिछड़े इलाकों के साथ–साथ वंचित वर्गों के लिए समेकित शिक्षा–योजना को प्रारम्भ किया गया साथ ही इन्हें माध्यमिक शिक्षा के बाद छात्रवृत्ति छात्रावास एवं कोचिंग

की व्यवस्था भी की गयी साथ ही साथ प्रतिभावान बच्चों के लिए नवोदय विद्यालय की स्थापना की गई।

एवांस (1978)[3] के शब्दों में, वंचन का तात्पर्य किसी ऐसी वस्तु को हटा देने या अत्यधिक सीमित कर देने से है, जो वस्तु प्राणी के लिए अत्यधिक आवश्यक है।''

अर्थात् वंचन विद्यार्थियों के गरीबी, सामाजिक–आर्थिक स्तर, शारीरिक, मानसिक एवं शैक्षिक विकास में से किसी भी रूप से सुविधारहित होने से है। वंचन,किसी न किसी रूप में बालक या व्यक्ति द्वारा उन सभी सुविधाओं को नहीं प्राप्त कर पाना है जिनकी पूर्ति से वह समाज का एक सुयोग्य नागरिक बनकर स्वयं तथा राष्ट्र का विकास कर सकता है। ''अशिष्ट माता–पिता बच्चों की सुविधारहितता के लिए उत्तरदायी होते है''[4] (लेवी एवं रिब्बल 1993)। रामाश्रे राय एक राजनीति शास्त्री मानते है कि वंचन का प्रमुख कारण गरीबी है क्योंकि इसी कारण से शिक्षा ग्रहण करने में व्यक्ति लोगों की अपेक्षा अलगाव महसूस करता है।[5] (सिन्हा, दुर्गानन्द, त्रिपाठी एवं मिश्रा गिरिशवार, 1982)। सामाजिक रूप से वंचित बालकों की शैक्षिक निष्पत्ति भी प्रभावित होती है। ''सामाजिक आर्थिक स्थिति का शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन में पाया गया कि उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति के बालकों की शैक्षिक उपलब्धि निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति के बालकों की तुलना में अच्छी थी।''[6] (सत्यानन्दम 1969)।

समस्या कथन–''माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के वंचन का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।''

अध्ययन का उद्देश्य: प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित उद्देश्यों है–

1. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के वंचन का अध्ययन करना।
2. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि का अध्ययन करना।
3. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के वंचन का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।

परिकल्पना

माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के वंचन का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन में शोध विधि में वर्णनात्मक अनुसंधान के अन्तर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है। न्यादर्श के रूप में इलाहाबाद जनपद के माध्यमिक स्तर के विद्यालयों में अध्ययनरत् 100 छात्र–छात्राओं का चयन यादृच्छिक विधि से किया गया है। उपकरण के रूप में वंचन को मापने के लिए प्रो0 एस0के0 पाल, प्रो0 के0एस0 मिश्र एवं प्रो0 कल्पलता पाण्डेय द्वारा डी0 स्केल तथा शैक्षिक उपलब्धि के लिए विद्यार्थियों की परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांक का प्रयोग किया गया है। आँकड़ों के विश्लेषण के लिए एनोवा (एफ–अनुपात) एवं टी–अनुपात का प्रयोग किया गया है।

आँकड़ों का विश्लेषण एवं व्याख्या

उद्देश्य–माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के वंचन का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन।

परिकल्पना– माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के वंचन का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं पड़ता है।

सारणी 1

स्रोत	df	SS	MS	F	सारणी मान
समूहों के मध्य	2	106884.41	53442.20	56.69	F.05(2,98)=3.09
समूहों के अन्दर	98	92384.98	942.70		F.01(2,98)=4.82
कुल	100	199269.39	54384.91		

सारणी संख्या 1 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि एफ (प्रसरण विश्लेषण) का परिकलित मान 56.69 है जो कि 0.05 एवं 0.01 सार्थकता स्तर पर df=98 सारणी मान 3.09 एवं 4.82 से अधिक है अतः शून्य परिकल्पना को निरस्त तथा शोध परिकल्पना H_1 को स्वीकृत किया जाता है।

अतः इस सार्थक अनुपात के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रतिदर्श मध्यमानों में सार्थक अन्तर है अर्थात् माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के वंचन का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है।

यह ज्ञात करने के लिए कि कौन–कौन से मध्यमान परस्पर सार्थक रूप से भिन्न है, प्रसारण विश्लेषणोपरान्त टी परीक्षण का प्रयोग किया गया है। परिणाम सारणी संख्या 1.1 में दर्शाया गया है।

सारणी 1.1

क्र.सं.	समूह	N	M	(M_1~M_2)	$\sigma_{\bar{x}}$	t-मान	सार्थकता स्तर
1.	निम्न वंचित विद्यार्थी	26	423.26	56.89	7.48	7.61	0.05 स्तर पर सार्थक
	मध्यम वंचित विद्यार्थी	48	366.375				
2.	निम्न वंचित विद्यार्थी	26	423.26	89.03	7.48	11.91	0.05 स्तर पर सार्थक
	उच्च वंचित विद्यार्थी	26	334.23				
3.	मध्यम वंचित विद्यार्थी	48	366.37	32.14	7.48	4.29	0.05 स्तर पर सार्थक
	उच्च वंचित विद्यार्थी	26	334.23				

व्याख्या

सारणी संख्या 1.1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् निम्न, मध्यम एवं उच्च वंचित विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि के मध्यमानों के अन्तर का टी–मान 8.27, 12.95 एवं 4.67 है जो सार्थकता स्तर .05 एवं .01 के सारणी मान से अधिक है। अतः माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् निम्न, मध्यम एवं उच्च वंचित विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर पाया गया।

अतः निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि वंचन का विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। कुछ शोध द्वारा यह शोध सिद्ध होता है कि वंचन एवं शैक्षिक उपलब्धि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। टीबीस0सी0 स्टूवी (2007)[7] ने अध्ययन में निष्कर्ष रूप में यह प्राप्त हुआ कि शैक्षिक उपलब्धि पर गरीबी का असर, परिवारों के सामाजिक– आर्थिक स्तर के साथ सम्भव हो सकता है। चन्द्रा, रीतू एवं अजीमुद्दीन, शेख (2013)[8] ने अध्ययन में पाया कि उच्च सामाजिक–आर्थिक स्थिति और औसत सामाजिक–आर्थिक स्थिति तथा औसत सामाजिक–आर्थिक स्थिति और निम्न सामाजिक–आर्थिक स्थिति की श्रेणी के माध्यमिक स्कूल के छात्रों की छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि में महत्त्वपूर्ण अन्तर है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन में निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त हुये–

1. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् विद्यार्थियों के वंचन का उनके शैक्षिक उपलब्धि पर प्रभाव पड़ता है।
2. माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत् निम्न, मध्यम एवं उच्च वंचित विद्यार्थियों के शैक्षिक उपलब्धि में सार्थक अन्तर पाया गया।

सन्दर्भ

1 बाबा साहब डॉ0 अम्बेडकर : सम्पूर्ण वाङ्मय खण्ड–4 सम्पादित डॉ0 अम्बेडकर प्रतिष्ठान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, दिल्ली, 1994, पृ0 45

2 आर.बी.लाल (2012), 'शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त रस्तोगी प्रकाशन मेरठ ;पृ0 328।

3 सुलमान, मोहम्मद एवं कुमार, दिनेश, मनोविज्ञान और सामाजिक समस्याएँ

4 लेवी, डी0 (1943), मैटरनल ओवर प्रोटेक्शन, न्यूयार्क कोलम्बिया।

5 सिन्हा, दुर्गानन्द, त्रिपाठी एण्ड मिश्रा गिरिश्वार (1982). डिप्राइवेशन इट्स सोशल रूट्स एण्ड साइकोलॉजिकल कान्सेक्वेंसेज, कान्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, पृ0 3

6 सत्यानन्दनम् (1969). ए स्टडी ऑफ साशियो इकोनॉमिक स्टेट्स एण्ड अचीवमेन्ट, गवर्नमेन्ट कालेज ऑफ एजूकेशन, करनूल।

7 टीबीसी सी0 स्टूबी (2007). पावर्टी एण्ड स्कूल एचिवमेण्ट : एन एडिशनल इण्डीकेटर फॉर सोशियो इकोनॉमिक स्टेट्स इन स्कूल एचीवमेन्ट स्ट्डीज'', इंस्टीट्टयूट फार स्कूल डेवलपमेण्ट रिसर्च, मैगडालेना बुड्डीवर्ग, इंस्टीट्यूट फार स्कूल डेवेलमेण्ट रिसर्च, पृ0 1–15

8 चन्द्रा, रीतू एवं अजीमुद्दीन, शेख (2013), इन्फुलएन्स ऑफ सोसियो–इकोनॉमिक स्टेट्स ऑफ एकेडेमिक एचिवमेन्ट ऑफ सेकेण्डरी स्कूल स्टूडेन्ट्स ऑफ लखनऊ सिटी, इण्टरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एण्ड इंजीनियरिंग रिसर्च, वॉल्यम–4, इश्शू 12, पृ0 1953–1960